न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA144 Lalsingh etc Vs State

1. लालसिंह पुत्र मुल्तानसिंह राजपुरोहित
2. सोहनसिंह पुत्र मुल्तानसिंह राजपुरोहित
3. जेठूसिंह पुत्र मुल्तानसिंह राजपुरोहित
4. हरिसिंह पुत्र मुल्तानसिंह राजपुरोहित
   निवासी बडली, तहसील जोधपुर
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 23/2014 राजस्थान सरकार बनाम लालसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 23/2014 राजस्थान सरकार बनाम लालसिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 303 की 40 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि-

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बिलकुल निराधार, गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना एवं रेकर्ड पर आयी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारिज है।
2. अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है।
4. प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हळका की जिस रिपोर्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है।

5. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है।

6. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं।

7. अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि पूर्व में भी वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थनापत्र संख्या 147/1997 प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 06 अप्रेल 2005 को विड्रो कर लिया गया। अब उन्हीं आधारों पर पुनः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं है।

8. अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जमाबंदी (खेवट/खतौनी) गांव बडली पटवार हळका बांगा संवत 2059-2062 प्रस्तुत कर जाहिर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 303 के पास ही खसरा संख्या 370 भी स्थित है, जिसमें से कुछ भूभाग श्रीमती कुसुमकंवर को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख बेचान किया था, उक्त बेचान के आधार पर विधिवत म्युटेशन संख्या 667 दिनांक 18 फरवरी 2005 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में केता का नाम दर्ज हुआ, जिसके बाद केता कुसुमकंवर द्वारा कार्यवाही कर अपने नाम उक्त खसरा संख्या 370 में अपनी कयशुदा आराजी में से 4 हैक्टेयर रकबे पर उत्खनन कार्य हेतु क्वारी लाइसेंस दिनांक 03 जुलाई 2013 से 10 साल की अबधि का प्राप्त कर लिया।

9. पटवारी हळका की मौका रिपोर्ट के अनुसार वक्त मौका मुआयना खसरा संख्या 370 में कोई खुदाई नहीं हो रही थी। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अपीलाण्ट को अवैध खनन का दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की गयी है।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससें पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 25 फरवरी 2014 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री वेनाराम पटेल ने वकालतनामा पेश किया।
3. दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के

कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

4. इसके बाद दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 11 जून 2015 तक रबर-स्टाम्प से आदेशिकाएँ मुद्रित है जिनके अनुसार पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अवकाश पर/दीगर कार्य में व्यस्त होने अथवा वकुलाय की हडताल/रेफरेंस होने से पत्रावली इल्तवा की जाकर तारीख-तब्दील की जाती रही। किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है।
5. इसके बाद दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका में पुनः अप्रार्थीगण संख्या $^{1}/_{1}$ से $^{1}/_{4}$ की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना अंकित किया गया है। फिर दिनांक 09 जुलाई 2015 से लेकर 05 दिसम्बर 2017 तक उपरोक्त वर्णितानुसार रबर-स्टाम्प से मुद्रित आदेशिकाओं का बिना हस्ताक्षर के सिलसिला चलने के बाद 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका "सरकारी पैरोकार उपस्थित, वास्ते जवाब हेतु दिनांक 05.1.18 को पेश हो।" फिर 5.1.18 से 18.10.18 तक पुनः उपरोक्त वर्णितानुसार रबर-स्टाम्प से मुद्रित आदेशिकाओं का बिना हस्ताक्षर के सिलसिला चलने के बाद 02.11.18 की आदेशिका में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो। इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. उसके बाद पुनः आगे 08 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है। पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है,सक आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है।

7. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 303 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा में से अपीलाण्ट द्वारा 57गुणा33गुणा3.5 मीटर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर 57गुणा33गुणा3.5 मीटर का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

8. अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जमाबंदी (खेवट/खतौनी) गांव बडली पटवार हळका बांगा संवत 2059-2062 प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 303 के पास ही खसरा संख्या 370 भी स्थित है, जिसमें से कुछ भूभाग श्रीमती कुसुमकंवर को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख बेचान किया था, उक्त बेचान के आधार पर विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्युटेशन संख्या 667 दिनांक 18 फरवरी 2005 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में केता का नाम दर्ज हुआ, जिसके बाद केता कुसुमकंवर द्वारा कार्यवाही कर अपने नाम उक्त खसरा संख्या 370 में अपनी कयशुदा आराजी में से 4 हैक्टेयर रकबे पर उत्खनन कार्य हेतु क्वारी लाइसेंस दिनांक 03 जुलाई 2013 से 10 साल की अवधि का प्राप्त कर लिया गया, जैसा कि प्रपत्र तीन के संलग्न क्वारी लाइसेंस की छायाप्रति से प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 के अनुसार वक्त मौका मुआयना खसरा संख्या 303 में कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बिना किसी संशय के निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा ही मौके पर खसरा संख्या 303 के अपीलाधीन आदेश में बताये गये तथाकथित भू-भाग पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा था। अतः इस संबंध में समुचित जॉच की आवश्यकता है।

9. तहसीलदार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06 अप्रेल 2005 को सशर्त विड्रो किया गया था कि आवश्यकता पडने पर नया प्रार्थनापत्र पेश कर सकेंगे।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में कार्यवाही करते हुए नियमानुसार पुनः विधिसम्मतः रूप से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर